

कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

Email : cfkumaon\_north@rediffmail.com , (05962) 231099 Fax : 230397

पत्रांक -406 / 12-1 (2) अल्मोड़ा, दिनांक, 30-1-2022.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,  
वन संरक्षण, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :- जनपद- पिथौरागढ़ मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0- 1710/2018 के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र डीडिहाट के अन्तर्गत लछैर से कटियानी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 5.60 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव सं0. FP/UK/ROAD/41149/2019.

संदर्भ:- आर0ई0सी0 की 62वीं बैठक का फाईन नं0 RO-DDN/REC/1-2014/VOL-5/1122 दिनांक 03.12.2021।

महोदय,

विषयगत मोटर मार्ग के सम्बन्ध में आर0ई0सी0 की 62वीं बैठक द्वारा लगाई गयी आपत्ति का निराकरण कर प्रतिउत्तर जो प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़ के पत्रांक 194/12-1 दिनांक 11.07.2022 द्वारा प्राप्त हुआ है। कि तीन हॉर्ड कॉपियां बन्द लिफॉफे में प्रेषित की जा रही है। प्रस्ताव ऑन लाईन से प्रेषित करने की कार्यवाही पृथक से की जा रही है।  
संलग्न- यथोपरि तीन प्रतियों में।

भवदीय

वन संरक्षक,  
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

# कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़ ।

E-mail: dfopithoragarh@rediffmail.com , Fax/☎ 05964-225234

पत्रांक:- 194 /12-1 दिनांक, पिथौरागढ़, 11 जुलाई, 2022 ।

सेवा में,

वन संरक्षक,  
उत्तरी कुमार्ज वृत्त,  
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा ।

विषय:- जनपद पिथौरागढ़ मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0-1710/2015 के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र डीडिहाट के अंतर्गत लछैर से कटियानी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 5.60 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने के सम्बन्ध में। (FP/UK/ROAD/41149/2019)

सन्दर्भ - आर0ई0सी0 की 62वीं बैठक का फाईल नं0 RO-DDN/REC/1-2014/VOL-5/1122, DT. 03.12.2021 व प्रस्तावक विभाग का पत्रांक 1907/22 याता दिनांक 06.07.2022 ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि उक्त मोटर मार्ग में पड़ने वाले वन भूमि प्रस्ताव ऑनलाईन प्रपोजल नं0 (FP/UK/ROAD/41149/2019) में लगाई गई आपत्तियों का निराकरण किया गया है, जिनका विवरण निम्न प्रकार है -

क्रं सं0	नोडल अधिकारी देहरादून द्वारा लगायी गयी आपत्तियाँ	उत्तर
1	The proposed road beyond village 'Serad' is not justified as the villages located at the end are already seem connected. The state government may submit the justification in this regard.	मोटर मार्ग की स्वीकृति लछैर से कटियानी तक 12.00 किमी0 लम्बाई में स्वीकृत है। चूकि 12.00 किमी0 में मार्ग कटियानी से नहीं जुड़ पा रहा है। कटियानी से जोड़ने हेतु अतिरिक्त 2.50 किमी0 लं0 की आवश्यकता है, जिस हेतु प्रस्तावक विभाग द्वारा 2.50 किमी0 स्वीकृति हेतु शासन को आगणन प्रेषित किया गया है उक्त मोटर मार्ग से आगे की ओर 2.50 किमी0 में कटियानी तक सम्पूर्ण नाप भूमि पड़ती है जिसे स्वीकृति उपरान्त अलग से निर्मित किया जाएगा। अतः प्रस्तुत मार्ग औचित्यपूर्ण है।
2	Location of village 'Katyani' is required to be marked in the KML file along with other government structure such as schools, block head quarter etc.	Location of village 'Katyani' has been marked in the KML file along with other government structure such as schools, block head quarter etc. and also uploaded in Form A, Part I.
3	It was seen that the CA area has been inspected by the Range Officer. State Govt. may submit the CA site inspection Report of the concerned DFO.	CA Site inspection Report of the DFO has been uploaded in Form A, Part I and attached with this letter.
4	State Government is requested to submit the CA scheme on the prevailing rates duly countersigned by the concerned DFO.	CA scheme with new rate has been uploaded in Form A , Part I & Part 2 and the scheme is attached by this letter.
5	It was also seen that the CA area is mentioned as 10.8 hac instead of 11.20 hac at para 13, in Part II, which is required to be corrected.	CA area is updated as 11.20 hac at para 13, in Part II

अतः आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण कर आवश्यक प्रपत्र 4 प्रतियों में संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(डॉ० को० रोसे)  
प्रभागीय वनाधिकारी,  
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।